कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–२२१००२
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,
Varanasi-221002

पत्रांकः– कु0स0–2सी0समिअ/रा0शि0नीति–2020/10921 /2021 दिनांकः–27 अगस्त, 2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद।

विषय– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आलोक में सत्र–2021–22 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्रवेश सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुशंसा के अनुरूप निर्मित न्यूनतम समान पाठ्यक्रम व तत्सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देर्शों के आधार पर मा0 कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा प्रस्तावित तथा समय–समय पर समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशकों की बैठकों में लिये गये निर्णय के क्रम में शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी दिशा–निर्देश तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत बिन्दुओं के संदर्भ में प्रथम/मानक दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है।

सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इन दिशा–निर्देशों में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है। सत्र 2021–22 से स्नातक प्रथम वर्ष में अद्यतन विद्यापरिषद से पारित पाठ्यक्रम ही लागू होंगे। जिसकी सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

समस्त महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारिणी तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सके जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हो तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो। साथ ही सभी शिक्षण संस्थान समय–सारिणी ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो।

अतः उक्त पत्र के साथ सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु प्रवेश सम्बन्धी दिशा–निर्देश एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठ्यक्रम प्रभारी।
3. समन्वयक–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय।
4. प्रभारी–प्रवेश सेल–2021.
5. सहायक कुलसचिव/अधीक्षक–सामान्य प्रशासन को इस निर्देश के साथ कि सत्र 2021–22 में प्रवेश हेतु उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. अधीक्षक–परीक्षा गोपनीय/अतिगोपनीय/परीक्षा सामान्य/सम्बद्धता।
7. प्रभारी–संगणक केन्द्र।
8. प्रभारी–वी0आर0एस0 एजेन्सी।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु
राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के आलोक में प्रवेश संबंधी दिशा–निर्देश

Guidelines for Admission in light of National Education Policy- 2020

(For Affiliated Colleges)

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 की अनुशंसा के अनुरूप निर्मित न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Common Minimum Syllabus) शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी. लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2021 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिपत्र तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर महात्मा संबंधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के माननीय कुलपति द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा प्रस्तावित तथा समय–समय पर विभागाध्यक्षों एवं संकायाध्यक्षों की बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रम में शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश संबंधी तथा अन्य संबंधित विषयगत बिन्दुओं के संदर्भ में प्रथम/मानक दिशा–निर्देश (Guidelines) प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इन दिशा–निर्देशों (Guidelines) में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. पाठ्यक्रम लागू करने की समय–सारिणी –

(a) तीन विषयों वाले समस्त त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एस–सी. आदि) व बी.कॉम. में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

(b) यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine, Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, M.C.A. etc.) आदि संकायों पर लागू नहीं होगी।

(c) विधि (बी.ए. एल–एल.बी., बी.एस–सी. एल–एल.बी. आदि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., बी. पी–एड., एम.पी–एड. आदि) के लिए व्यवस्था निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना निर्माण के पश्चात् ही किया जाएगा।

2. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम– एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक उपाधि।

3. संकाय– संकाय विषयों का समूह है यथा– कला, मानविकी व समाज विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय आदि।

(a) यथा– हिन्दी, संस्कृत, गणित, समाजशास्त्र आदि।
(b) एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

5. पेपर/प्रश्नपत्र–

(a) एक विषय के विभिन्न सैद्धान्तिक/प्रयोगात्मक पेपर को प्रश्नपत्र(Paper) कहा जाएगा, जिनका एक कोड निर्धारित होगा।
(b) सैद्धान्तिक व प्रयोगात्मक प्रश्नपत्रों (Papers) के कोड अलग–अलग होंगे।

6. प्रवेश व्यवस्था –

(a) अभ्यर्थी को स्नातक में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम महाविद्यालय में **एक संकाय** (कला, समाज विज्ञान व मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्भी को पुनः निर्धारित अर्हतानुसार अपने वर्ग यथा – Bio/Math etc. का चयन करना होगा जिसका अवंटन प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों, महाविद्यालय के उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा।
(b) अभ्यर्थी द्वारा चयनित संकाय अभ्यर्थी का अपना संकाय (Own Faculty) होगा तथा अपने संकाय (Own Faculity) से उसे दो मुख्य विषयों (Major Subjects) का चयन करना होगा। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थी तीन वर्ष (प्रथम से छठवें सेमेस्टर) तक मुख्य विषयों का अध्ययन कर सकेगा।
(c) तीसरे मुख्य विषय का चुनाव अभ्यर्थी किसी भी संकाय (अपने अथवा दूसरे संकाय) से कर सकता है, परन्तु विषय का चुनाव अर्हकारी परीक्षा के विषय, प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधन पर निर्भर होगा। (उदाहरण के लिए कला संकाय के विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का गणित विषय तभी प्राप्त होगा जब उसने इण्टरमीडिएट की परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो)।
(d) तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक **गौण प्रश्नपत्र (Miner elective)** का चयन कर अध्ययन करना होगा।
(e) गौण प्रश्नपत्र (Miner elective) का चुनाव अभ्यर्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय) से कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी पूर्व पात्रता(Pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु महाविद्यालय माइनर इलेक्टिव का आवंटन उपलब्ध सीटों व संसाधन के आधार पर ही करेगा।
(f) स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम व द्वितीय वर्ष में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर प्रश्नपत्र प्रति वर्ष) लेना होगा। विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव प्रश्नपत्र का चयन कर सकता है।
(g) बहु विषयकता (Multi-displinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पशनपत्र प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी भी चौथे विषय (अभ्यर्थी द्वारा चयनित तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से चयनित करना होगा।

(h) **तीसरे मुख्य विषय (Major subject) तथा माइनर इलेक्टिव (Minor elective) प्रश्नपत्र का चयन अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय (Own faculty) के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।**

(i) माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन संस्थान में संचालित विषयों के प्रश्नपत्रों में से किया जाएगा। चयनित माइनर पेपर की कक्षाएँ संकाय (Faculty) में संचालित होंगी तथा उसकी परीक्षा भी अलग से होगी।

(j) माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का प्रश्नपत्र होगा न कि पूर्ण विषय।

(k) स्नातक में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों के प्रत्येक सेमेस्टर से (चारों सेमेस्टर) में 03 क्रेडिट के एक कौशल विकास/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (3x4=12 क्रेडिट) का भी अध्ययन करना होगा।

(l) कौशल विकास/व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय/विश्वविद्यलय में उपलब्ध विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों में से उपलब्ध सीटों के आधार पर ही करना होगा।

(m) स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में **एक** सह–पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(n) इन छः सह–पाठ्यक्रमों के सिलेबस (Syllabus) उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(o) सभी सह–पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी की ग्रेडशीट पर सह–पाठ्यक्रमों के ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए.(C.G.P.A.) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

7. <u>कक्षाओं हेतु समय–सारिणी</u> –

(a) महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व समय–सारिणी (Time-Table) तैयार कर ली जाएगी, ताकि प्रवेश के समय अभ्यर्थी अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हो। इसके माध्यम से कक्षाओं के ओवरलैपिंग की समस्या को न्यूनतम किया जा सकता है।

(b) समय सारिणी (Time-Table) इस प्रकार तैयार की जाएगी कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने का अधिकतम विकल्प हो।

8. <u>लघुशोध परियोजना</u> –

(a) स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष (पाँचवें व छठवें सेमेस्टर) में लघु शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी।

(b) लघु शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये किसी एक विषय से संबंधित होगी।

9. <u>पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश प्रक्रिया</u> –

(a) विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट (Certificate) के साथ निकास (exit) तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) के साथ

निकास (exit) की अनुमति होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक (Vocational)प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(b) विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही स्नातक उपाधि प्राप्त होगी।

(c) विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

10. <u>क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण–</u>

(a) सैद्धान्तिक(Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13–15 घंटे का शिक्षण करना होगा।

(b) प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26–30 घंटे का प्रयोगात्मक/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में सैद्धांतिक के एक घंटे का कार्यभार प्रयोगात्मक/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

(c) विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

(d) एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपयोग कर लिये माने जायेंगे अर्थात् उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष में 92 (46–46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्ष के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर स्नातक उपाधि ले सकता है।

(e) यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित से कम समय में स्नातक उपाधि के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी

परन्तु स्नातक उपाधि तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(f) द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे न कि डिप्लोमा की क्योंकि **डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।**

(g) यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा– 112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों ही में स्नाकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला, मानविकी व समाज विज्ञान संकाय के ऐसे विषय आयेंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

(h) यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

11. उपस्थिति व परीक्षा –

(a) क्रेडिट वेलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

(b) परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(c) छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता हो तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

12. **उत्तर प्रदेश शासनादेशों के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना विज्ञान, कला, मानविकी व समाज विज्ञान, वाणिज्य आदि सभी संकायों पर लागू होंगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है–**

(a) स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।

(b) द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित क्रेडिट के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

(c) तृतीय वर्ष तक 132 संचित के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

(d) प्रवेश निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के संबंध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी।

(e) स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल–विकास से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ. यू. हस्ताक्षर किया गया है,जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को समन्वय स्थापित करना होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जायेंगे।

13. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular)–

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-Curricular) के अध्ययन–अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा।

(a) **प्रथम सेमेस्टरः** खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

(b) **द्वितीय सेमेस्टरः** प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)

(c) **तृतीय सेमेस्टरः** मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

(d) **चतुर्थ सेमेस्टरः** शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)

(e) **पंचम सेमेस्टरः** विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytical Ability and Digital Awareness)

(f) **षष्ठ सेमेस्टरः** संचार, कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)

(g) स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–438/सत्तर–3–2021/16(26)/2011

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

2. **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 08 फरवरी, 2021**

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5240/सत्तर–3–2020 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरूप लगभग 150 विषय विशेषज्ञों द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाजइरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर पाठ्यक्रमों को तैयार कर लिया गया है तथा सभी हितधारकों की राय जानने के लिए उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट (http://uphed.gov.in/page/council/en/nep-2020) पर उसे उपलब्ध कराया गया है। उचित फीडबैक एवं सुझाव को सम्मिलित करते हुये अन्तिम पाठ्यक्रम इस माह के अन्त तक विश्वविद्यालयों को भेजा जाना प्रस्तावित है, ताकि वे विद्या परिषद, कार्यपरिषद आदि में इस पर विचार करके तथा इसमें आवश्यकतानुरूप अधिकतम 30 % तक परिवर्तन कर आगामी सत्र (1 जुलाई, 2021) से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित कर सकें।

2– प्रथम फेज में स्नातक स्तर के कला एवं मानविकी के 16, भाषा के 04, विज्ञान के 09, वाणिज्य, बी0एड एवं प्रबन्धन के सभी विषयों के साथ–साथ 06 अनिवार्य विषयों के पाठ्यक्रम भी वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिये गये हैं। अभी तक 202 फीडबैक प्राप्त हुए हैं(**सूची संलग्न**) जिनपर विषय विशेषज्ञ समूहों द्वारा विचार किया जा रहा है।

3– स्नातक कार्यक्रमों की समेकित संरचना हेतु कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कानून और कृषि के संकायों की समस्त उपाधियाँ (डिग्रियाँ) इस संरचना में सम्मिलित हैं, जैसे– बी.ए., बी.एससी., बी.एससी. (कृषि), बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.ए.एल.एल.बी., बी.ए.बी.एड. आदि। इस संरचना में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अन्य राज्य/राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा विनियमित अन्य तकनीकी विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया है। छात्रों का

लक्षित आयु समूह 18–23 वर्ष है, लेकिन यह जीवन में किसी भी आयु में किसी भी आग्रही व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है।

4– 12 वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र को प्रथम वर्ष के लिए दो मुख्य (Major) विषयों के साथ एक संकाय का चुनाव करना होगा। इस चुनाव के लिए संकाय विशेष के सन्दर्भ में पूर्व पात्रता (pre-requisites) की आवश्यकता होगी। दो प्रमुख विषयों के अलावा उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में किसी भी अन्य संकाय के एक और मुख्य (Major) विषय का चुनाव करना होगा। इसके साथ ही एक गौण विषय किसी अन्य संकाय से, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (अपनी अभिरूचि के अनुसार) तथा एक अनिवार्य सह–शैक्षणिक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

5– **नये पाठ्यक्रम की विशेषताएं:–**

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम समिति एवं विषय विशेषज्ञों के साथ कई ऑनलाइन ओरियंटेशन प्रोग्राम किए गए, जिसमें सभी विषय विशेषज्ञों की जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान किया गया। तत्क्रम में पाठ्यक्रम समितियों द्वारा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समाहित करते हुए एक समान संरचना पर तैयार किये गये हैं। इनकी मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैं:–

- लचीलापन लाना (व्यावहारिक सुगमतापूर्ण)
- स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों की योजना बनाना
- किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश लेने सम्बन्धी विकल्प
- बहुविषयक दृष्टिकोण
- विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना
- क्रेडिट की हस्तांतरणीयता
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए बी सी)
- नये पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आसानी से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश और निकास (Re Exit-entry) कर सकेंगे, छात्र एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय मैं बिना किसी समस्या के आसानी से क्रेडिट ट्रांसफर द्वारा के द्वारा स्थानांतरित होकर अपनी डिग्री ले सकेंगे।
- विद्यार्थी बहु–विषयक, मेजर एवं माइनर विषयों के साथ साथ ऐच्छिक एवं अनिवार्य विषय का अध्ययन करेंगे ।
- सभी विषयों की पहली यूनिट में पहला पाठ संबंधित विषय की भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित रखा गया है।
- विद्यार्थियों को मुख्य विषय के साथ–साथ, रोजगार परक पाठ्यक्रम तथा कतिपय अनिवार्य विषय यथा मानवीय मूल्य एवं सतत् विकास (Human Values and sustainable development), स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, डिजिटल जागरूकता,

व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किलस का भी अध्ययन करना होगा ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके तथा उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो ।

- नए पाठयक्रम में गैर–प्रायोगिक (Non practical) विषयों में भी व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रैक्टिकल जोड़ा गया है, जैसे भाषाओं के पाठ्यक्रम में अनुवाद, रूपान्तरण, स्क्रिप्ट राइटिंग, फोनिक्स, अनुवाद, लैंग्वेज लैब आदि को समावेश किया गया है ।
- स्नातक प्रथम वर्ष से ही शोध को बढ़ावा देने के लिए सभी विषयों के प्रथम वर्ष में रिसर्च ओरियंटेशन को जोड़ा गया है तथा स्नातक तृतीय वर्ष में रिसर्च प्रोजेक्ट को भी जोड़ा गया है। अपनी भाषा में शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए शोध कार्य से संबंधित भाग में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल को समान महत्व दिया गया है ।

6– **Choice Based Credit System (CBCS):–**

- च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के अन्तर्गत स्नातक कार्यक्रम के पहले तीन वर्षों में 06 सह–शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने हैं जो प्रत्येक 02 क्रेडिट के होंगे। यह पाठ्यक्रम सभी स्नातक के छात्रों के लिए उपलब्ध एवं अनिवार्य होंगे।
- एक सेमेस्टर में कम से कम 15 सप्ताह होंगे, जिसमें कम से कम 90 शिक्षण दिवस होंगे।
- एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घन्टे के व्याख्यान (प्रायोगिक कार्य के लिए 2 घण्टे) के बराबर है, यथा–चार क्रेडिट का पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर में कुल 60 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा।
- प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत होगा, जैसा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद द्वारा तय किया जायेगा।
- साधारणतया पेपर उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक होंगे तथा वर्षोपरान्त उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट होंगे। जैसे कि एक वर्षीय सर्टिफिकेट के लिए न्यूनतम 46 क्रेडिट, दो वर्षीय डिप्लोमा के लिए न्यूनतम 92 क्रेडिट तथा स्नातक डिग्री के लिए 138 क्रेडिट अर्जित करने होंगे।
- कुल मूल्यांकन = 75% बाह्य (विश्वविद्यालय परीक्षा द्वारा)+25% आन्तरिक (सतत् मूल्यांकन)।
- वर्ष के अन्त में परिणाम मेजर, माइनर, वोकेशनल व को–करिकुलर सभी प्रकार के कोर्स पर आधारित होगा।
- सभी प्रकार के कोर्सेस को उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा अंतिम परिणाम जो कि CGPA के रूप में होगा, सभी कोर्सेस में अर्जित ग्रेड्स पर निर्भर करेगा। किन्तु वर्ष के अन्त में उपाधि हेतु कुल अर्जित क्रेडिट में कुछ क्रेडिट की छूट होगी।

7– पाठ्य सामग्री हेतु मानक के संदर्भ में सभी कार्यक्रमों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक विषय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) होगा। विश्वविद्यालयों में पाठ्य समितियों (Boards of Studies) को इस सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम 70% के साथ अपना पाठ्यक्रम (Syllabus) विकसित करना होगा (अधिकतम की कोई सीमा नहीं है)। आगे आने वाले सेमेस्टर में प्रश्न–पत्रों का पाठ्यक्रम (Syllabus) उत्तरोत्तर जटिल एवं अनंत सम्भावना युक्त होना चाहिए। सभी सेमेस्टर में प्रश्न–पत्रों के शीर्षक व कार्यक्रम संरचना सभी कक्षाओं/वर्षों में, समस्त विश्वविद्यालयों में समान होगा। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालयों के मध्य एकरूपता और सुचारु स्थानांतरण के लिए है। उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय को क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए.बी.सी) के माध्यम से दी जायेगी, जिसे प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने डाटा सेन्टर द्वारा प्रबंधित करेगा।

अनुरोध है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव दिनांक 20, फरवरी 2021 तक अवश्य उपलब्ध करा दें जिससे पाठ्यक्रमों को ससमय अन्तिम रूप दिया जा सके।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/सत्तर–3–2021/16(26)/2011 तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वांछित सूचना संकलित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम पुनर्संरचना समिति के सदस्य।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Designation Wise

Vice-Chancellor	0
Pro-VC	0
Dean	8
Principal	3
Professor	9
Associate Professor	39
Assistant Professor	102
Lecturer	12
Industrialist	0
Retired Academician	0
Research Scholar	11
Student	11
Scientist	0
Other	6
Parents	1
	202

Subject wise

Other/ Co-Curricular/ Compulsory Course	45
Agriculture,	3
Anthropology	4
Botany,	5
Chemistry,	3
Commerce	11
Computer Science,	5
Defense and strategic Studies,	3
Defense studies,	0
Economics ,	3
Education,	10
English,	7
Fine arts,	1
Geography,	8
Geology	0
Hindi,	5
History (Ancient Indian History, archaeology and culture),	1
History (Modern and medieval),	3
Home Science,	3
Law,	0
Management	5
Mathematics,	6
Philosophy,	0
Physical Education,	15
Physics,	7
Political Science,	4
Psychology,	11
Sanskrit,	2
Social Work	1
Sociology	2
Statistics,	1
Teacher Education (BEd)	7
Urdu	0
Zoology	21
Total	202

Feedback analysis report of Syllabus submitted by stockholder

पदनाम/Designation

202 responses

Value	Count
Main Subject	160
Co-Curricular/ Compulsory Course	62

आप अपना सुझाव / प्रतिक्रिया किसके लिए दे रहे हैं / You are giving your Suggestion/feedback for

202 responses

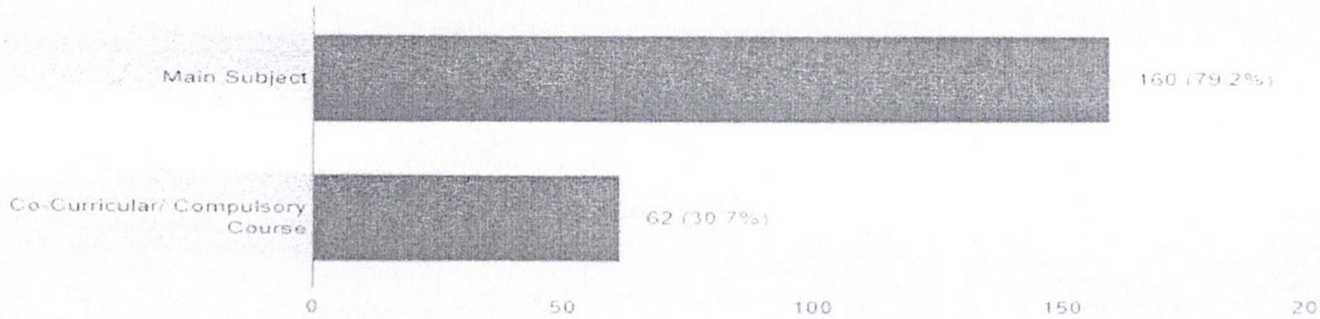

सुझाव / प्रतिक्रिया के लिए मुख्य विषय का चयन करें/ Select the main subject for Suggestion/feedback

202 responses

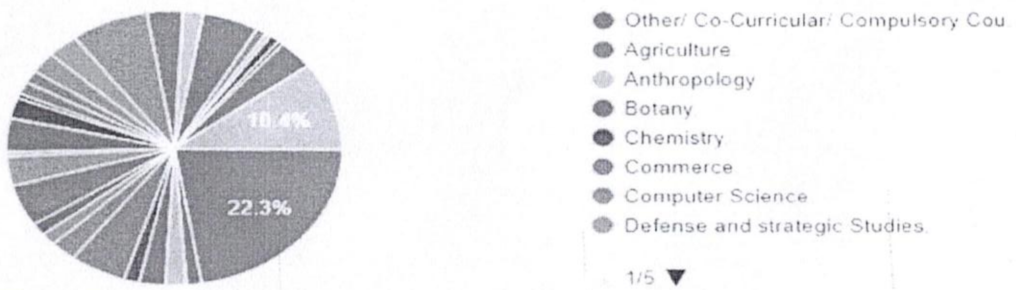

Yes	149
No	26
Maybe	27

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम भविष्य-उन्मुख है? Do you think that the syllabus is future-oriented?

202 responses

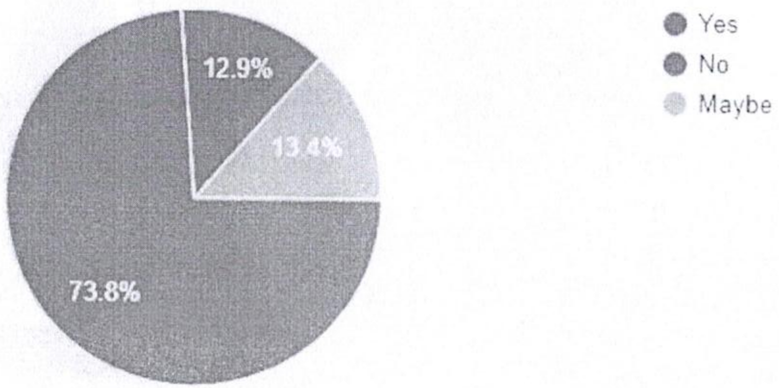

Yes	126
No	29
Maybe	47

क्या आपको लगता है कि भारतीय ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा पाठ्यक्रम में शामिल है? Do you think that the Indian cultural/ traditional knowledge included in the syllabus?

202 responses

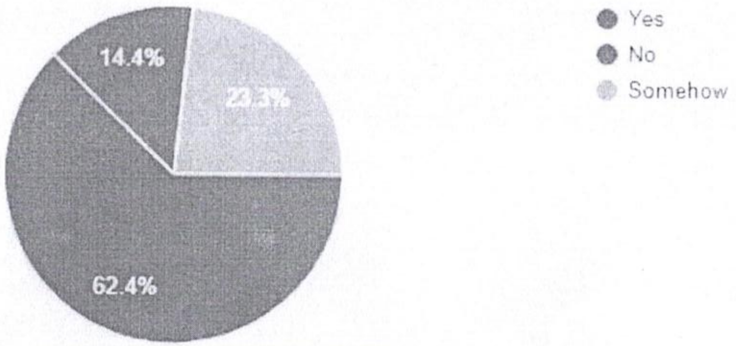

Yes	139
No	22
Maybe	41

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम NEP-2020 के उद्देश्य को पूरा करेगा? Do you think that the syllabus will fulfill the objective of NEP-2020?

202 responses

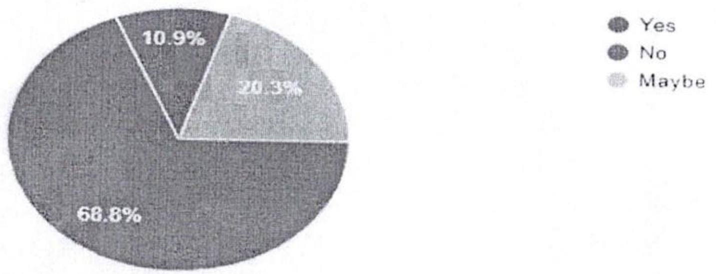

Yes	149
No	24
Maybe	29

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम में कौशल सामग्री शामिल है? Do you think the syllabus included the skill content?

202 responses

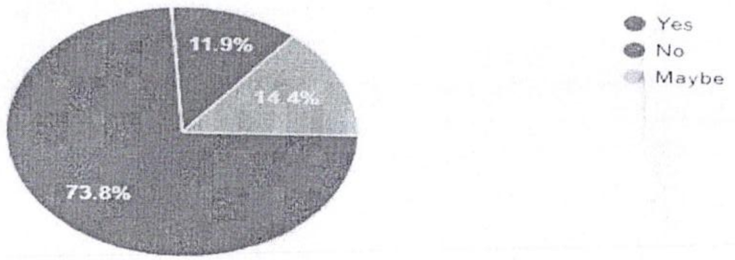

Yes	137
No	29
Maybe	36

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम अनुसंधान-उन्मुख है? Do you think that the syllabus is research-oriented?

202 responses

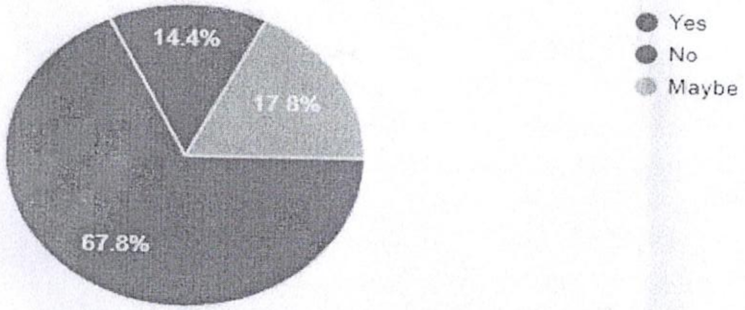

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या– 474 / सत्तर–3–2021–08(35) / 2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2021

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स एवं महाविद्यालयों में क्रियान्वयन समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। नीति के लगभग 70% प्राविधानों का क्रियान्वयन विश्वविद्यालय को अपने स्तर से ही करना है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन का आधार शिक्षक हैं। अतः कार्यशालाओं के माध्यम से उनका उन्मुखीकरण (ओरियंटेशन) एवं समय–समय पर नियमित रूप से रिफ्रेशर एवं समीक्षा की उचित व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु शैक्षिक संस्थानों के परिवेश में खुलापन एवं अकादमिक वातावरण का भी सृजन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार सभी स्तर पर समग्रता से क्रियान्वयन की योजना से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का वास्तविक एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सकेगा।

2– इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय में टास्क फोर्स एवं प्रत्येक महाविद्यालय में 03–05 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के टास्क फोर्स एवं क्रियान्वयन समिति के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहभागिता से नीति का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। जब तक शिक्षकों की सहभागिता नहीं होगी, तब तक वास्तविक एवं जमीनी क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सकेगा।

3– विश्वविद्यालय स्तर पर गठित NEP-2020 टास्क फोर्स मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेंगे :–

- विषय विशेषज्ञों से परामर्श
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही
- शासनादेशों का विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में समुचित क्रियान्वयन

4– महाविद्यालय स्तर पर गठित NEP-2020 क्रियान्वयन समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेंगे :–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा
- शासनादेशों का समुचित क्रियान्वयन।

5– प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के प्रमुख को सुनिश्चित करना होगा की वहाँ के प्रत्येक शिक्षक ने प्रारूप का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। शिक्षकों की सहभागिता एवं क्रियान्वयन में उनको आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समय–समय पर समाधान करना आवश्यक होगा। शिक्षकों और वरिष्ठ छात्रों हेतु संगोष्ठियों का आयोजन जिसमे शोध–पत्र भी मंगवाए जा सकते है तथा आलेख प्रतियोगिता आदि गतिविधियों के माध्यम से भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक शैक्षिक संस्थान द्वारा कम से कम एक संगोष्ठी प्रत्येक माह होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से क्रमबद्ध संगोष्ठियों का आयोजन अपेक्षित है जिसमें शुरूआत में शिक्षा नीति की समग्रता पर एवं दूसरे चरण में उच्च शिक्षा, शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषा, शिक्षा नीति एवं भारतीय ज्ञान परम्परा आदि, तीसरे चरण में "मेरू" (मल्टीपल एजूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिट), एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एग्जिट एण्ड एन्ट्री आदि पर संगोष्ठी, कार्यशालाओं, ई–संगोष्ठियों का आयोजन करना होगा।

6– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कई विश्वविद्यालयों में NEP–2020 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अनुरोध है कि शेष विश्वविद्यालय भी उक्त टास्क फोर्स का गठन करके शासन को दिनांक 25.02.2021 तक कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें एवं प्रत्येक महाविद्यालय में NEP–2020 कियान्वयन समिति का गठन करके निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज शासन को दिनांक 25.02.2021 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
10/2

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–474(1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

(2) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया विश्वविद्यालयों से उक्त कार्यक्रम की सूचना प्राप्त करके संकलित सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के ई–मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर दिनांक 25.02.2021 तक उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या–1065 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011

प्रेषक,
मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ: दिनॉक: 20 अप्रैल, 2021

विषय– उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240 / सत्तर–3–2020 दिनॉक 26–10–2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यक्रमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम को प्रदेश में स्टेकहोल्डरर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

तद्क्रम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया। फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फ़ेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0आई0एस0 तथा अनिवार्य को–करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठयक्रम वेबसाईट (http://uphed.gov.in/page/council /en/nep-2020) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रुप से तैयार पाठयक्रम भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे।

कला एवं मानविकी विषय	विज्ञान विषय	भाषा विषय	अनिवार्य को–करीकुलर विषय	अन्य संकाय
एंथ्रोपोलोजी	कृषि	संस्कृत	खाद्य, पोषण एंव स्वच्छता	बी0कॉम
रक्षा एवं संराचनात्मक अध्ययन	वनस्पति विज्ञान	हिन्दी	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	बी0एड0
अर्थशास्त्र	रसायन शास्त्र	अंग्रेजी	शारीरिक शिक्षा एवं योग	बी0बी0ए0
शिक्षाशास्त्र	कम्प्यूटर विज्ञान	उर्दू	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन	बी0एल0आई0एस0
ललित कला	भूगर्भ शास्त्र		विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस्स	
भूगोल	गणित		संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास	

इतिहास (प्राचीन)	भौतिक विज्ञान			
इतिहास(आधुनिक)	सांख्यिकी			
गृह विज्ञान	जन्तु विज्ञान			
विधि				
दर्शनशास्त्र				
शारीरिक शिक्षा				
राजनीति शास्त्र				
मनोविज्ञान				
समाजशास्त्र				
समाजिक कार्य				

3– शासनादेश संख्या–438/सत्तर–3–2021(16)26/2011 दिनॉक 08–02–2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठयक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानंतरण, अनिवार्य को–करीकुलर एंव विषय चुनाव एंव उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4– अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठयक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों/प्रकिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठयकमो मे आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021–22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन किया जा सके–

- न्यूनतम समान पाठयक्रम का 70 प्रतिशत पाठयक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठकम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप लागू कर सकेंगें । न्यूनतम समान पाठयक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जायेगा ।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठयक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठयक्रम भी समय–समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एंव संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा ।

<u>विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया–</u>

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा ।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियम के आधार पर विद्यार्थी को सम्बंधित संकाय में प्रवेश देगा
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठयक्रम लेना होगा।

किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सैमस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि–

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें–

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे । यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी । अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा । एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा ।

परीक्षा व्यवस्था –

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेंन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी ।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी ।

5– अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6– स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी–एच0डी0 (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7– प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8– पहले दो वर्षो में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–602 /सत्तर–3–2021–08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9– अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एन0एस0एन0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0ओ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1065 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. **कुलसचिव**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।
2. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठयक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठयक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यकम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2– शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं ''च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम'' (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम(Minimum Common Syllabus)

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)**–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-** यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 केडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. **सह–विषय / कोर्स** (Co-Curricular Courses)

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय / कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय / कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. **शोध परियोजना** (Research Project)

8.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृह्द शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी. डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग / इर्न्टरनशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग / कम्पनी / तकनीकि संस्थान / शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. **क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण**

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल / इर्न्टनशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इर्न्टनशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत केडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3– विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठयक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ **Research Project**	**{Minimum Credits}** For the year	**{Cummulative Minimum Credits}** Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4)Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI						—	Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

Note: **Blue Colour: No. of papersRed colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical**

स.कुस. समिति 15-6

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1267 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011

अधीक्षक
Harish
21/06/2021

987
15/6/21

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2 **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2021

विषयः– उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय / महोदया,

उर्पयुक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1065 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011, दिनॉक 20–04–2021 द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020" के अनुरुप "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)" पर तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र से लागू किया जाना है ।

2– उक्त के क्रम में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020" के अनुरुप विद्यार्थियों को बहुविषयक विकल्प उपलब्ध कराने, भाषा विषयों को बढावा देने तथा अर्न्तविश्वविद्यालय क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिये संकायों की एकरुपता आवश्यक है ।

3– प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में संचालित विषयों को निम्न संकायों में वर्गीकृत किया गया है। यदि कोई अन्य एलाईड विषय आपके यहां संचालित है तो उसको सम्बंधित विषय के संकाय में माना जाये । अर्तःविषयी, विषय के सम्बंद्ध में मूल संचालनकर्ता विषय के संकाय को उस विषय का संकाय माना जाये । सूची में उपलब्ध विषयों के अतिरिक्त विषय की सूचना उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उनके कोड का निर्धारण किया जा सके।

4– पूर्व में कई विषय जैसे–गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन आदि जैसे विषय बी0ए0, बी0एस0सी0 दोनों वर्ग के छात्रों के लिये उपलब्ध थे जिस कारण से वे दोनों सकायो मे वर्गीकृत किये गये थे। नई व्यवस्था में छात्र को तीसरा मुख्य विषय लेने की छूट है अतः कोई भी छात्र किसी भी संकाय के विषय का चुनाव कर सकता है, इसलिये किसी भी विषय को दो संकायों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है ।

5– अवगत कराना है कि निम्नानुसार सिर्फ विषयों को संकायों में वर्गीकृत किया गया है। अन्य पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

प्रा॰ 16.6.21

(1) Faculty of Language (भाषा संकाय)

1. Arabic (अरेबिक)
2. Communicative English (सचार अंग्रेजी)
3. English (अंग्रेजी)
4. Farsi (फारसी)

5. Foreign language (विदेशी भाषा)
6. French (फ्रेंच)
7. German (जर्मन)
8. Hindi (हिन्दी)
9. Linguistics (भाषा विज्ञान)
10. Modern Indian Languages and Literary Studies (आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्यिक अध्ययन)
11. Pali (पाली)
12. Prakrit (प्राकृत)
13. Punjabi (पंजाबी)
14. Sanskrit (संस्कृत)
15. Sindhi (सिंधी)
16. Tibbati (तिब्बती)
17. Urdu (उर्दू)

(2) Faculty of Arts, Humanities and Social sciences(कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)

1. Adult and Continuing Education (प्रौढ़, सतत् एवं प्रसार शिक्षा)
2. Ancient History, Archaeology & Culture (प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति)
3. Anthropology (मनुष्य जाति का विज्ञान)
4. Archaeology and Musicology (पुरातत्व एवं संग्रहालय)
5. Astrology (ज्योतिष विज्ञान)
6. Defence and Strategic Studies (रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन)
7. Early Childhood care and Education (बाल्यकाल की आरम्भिक देखभाल एवं शिक्षा)
8. Economics (अर्थशास्त्र)
9. Education (शिक्षा शास्त्र)
10. Geography (भूगोल)
11. History (इतिहास) -Medieval and modern history
12. Home Science (गृह विज्ञान)
13. Human Development (मानव विकास)
14. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)
15. Human Rights (मानवाधिकार)
16. Indian history and culture (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)
17. Journalism (पत्रकारिता)
18. Journalism and communication (पत्रकारिता एवं जनसंचार)
19. Library & Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)
20. Mass Media (संचार मीडिया)
21. Media and communication (मीडिया एवं संचार)
22. Nutrition and Dietetics (पोषण एव आहार विज्ञान)
23. Philosophy (दर्शनशास्त्र)
24. Physical Education (शारीरिक शिक्षा)
25. Political Science (राजनीति विज्ञान)
26. Psychology (मनोविज्ञान)
27. Public Administration (लोक प्रशासन)
28. Social Work (सामाजिक कार्य)
29. Sociology (सामाजिक विज्ञान)
30. Women Studies (महिला अध्ययन)
31. Yoga (योग शिक्षा)

(3) Faculty of Legal Studies (विधि संकाय)

1. Law related courses (विधि सम्बन्धित पाठयक्रम)
a. Law as one of the three subject in UG programme
b. BALLB, BScLLB, BComLLB, LLB, LLM

(4) Faculty of Science (विज्ञान संकाय)

1. Applied Microbiology (व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान)
2. Astronomy (खगोल विज्ञान)
3. Biochemistry (जैव रसायनविज्ञान)
4. Bioinformatics (जैव सूचना विज्ञान)
5. Biotechnology (जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
6. Botany (वनस्पति विज्ञान)
7. Chemistry (रसायन विज्ञान)
8. Computer Application (कम्प्यूटर अनुप्रयोग)
9. Computer Science (कम्प्यूटर विज्ञान)
10. Electronics (इलैक्ट्रोनिक्स)
11. Environmental science (पर्यावरण विज्ञान)
12. Food Science & Technology (खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी)
13. Forensic Science (फोरेन्सिक विज्ञान)
14. Geographic Information System and Remote Sensing (भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूरसंवेदन)
15. Geology (भू–गर्भ विज्ञान)
16. Genetics & Genomics (अनुवांशिकी एवं जीनोमिक)
17. Industrial Biotechnology (औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
18. Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायनविज्ञान)
19. Industrial Forestry (औद्योगिक वानिकी)
20. Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान)
21. Information Technology (सूचना प्रौद्योगिकी)
22. Instrumentation (उपकरण विज्ञान)
23. Life Science (जीवन विज्ञान)
24. Mathematics (गणित)
25. Microbiology (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
26. Nanotechnology (नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान)
27. Physics (भौतिक विज्ञान)
28. Polymer Science & Chemical Technology (बहुलक विज्ञान एवं रसायन प्रौद्योगिकी विज्ञान)
29. Statistics (सांख्यिकी)
30. Toxicology (विष विज्ञान)
31. Zoology (जन्तु विज्ञान)

(5) Faculty of Agriculture (कृषि संकाय)

1. Agriculture (कृषि विज्ञान)
2. Agriculture economics (कृषि अर्थशास्त्र)
3. Agriculture extension (कृषि विस्तार)
4. Agriculture statistics (कृषि सांख्यिकी)
5. Animal husbandry (पशुपालन)
6. Forestry (वानिकी)
7. Genetics and Plant Breeding (पादप अनुवांशिकी)
8. Horticulture (उद्यान विज्ञान)
9. Plant Protection (पादप संरक्षण)

10. Plant Pathology (पादप रोग विज्ञान)
11. Seed Technology (बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान)

(6) Faculty of Teacher Education (शिक्षक शिक्षा संकाय)

1. Physical Education (शारीरिक शिक्षा) B.PEd., M.PEd.
2. Teacher Education (अध्यापक शिक्षा) B.Ed., M.Ed.

(7) Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

1. Commerce (वाणिज्य)
2. Accounting and auditing (लेखा एवं लेखा परीक्षा)
3. Advertising, Sales Promotion and Sales Management (विज्ञापन, विक्रय प्रोत्साहन एवं बिक्री प्रबन्धन)
4. Banking and insurance (बैंकिंग एवं बीमा)
5. Foreign Trade (विदेशी व्यापार)
6. Office Management and Secretarial Assistance (कार्यालय प्रबंधन एवं सचिवीय सहायता)
7. Taxation (कराधान)

(8) Faculty of Management (प्रबंधन संकाय)

1. Business Administration (व्यवसाय प्रबंधन)
2. Business Economics (व्यापार अर्थशास्त्र)
3. Finance and Control (वित्त एवं नियंत्रण)
4. Hospital Administration (अस्पताल प्रशासन)
5. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)
6. International Business (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार)
7. Logistic management (रसद प्रबंधन)
8. Management Science (प्रबंधन विज्ञान)
9. Marketing (विपणन)
10. Tourism Management (पर्यटन प्रबंधन)
11. Travel and hospitality management (पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन)

(9) Faculty Fine Art and Performing Art (ललित कला एवं प्रर्दशन कला संकाय)

1. Architecture (वास्तुकला)
2. Choreography (नृत्यकला)
3. Dance (नृत्य)
4. Dance- Bharatanatyam (नृत्य–भरतनाट्यम)
5. Dance- Kathak (नृत्य–कथक)
6. Dance-Folk (लोक नृत्य)
7. Drawing & Painting (चित्रकारी)
8. Film (चलचित्र)
9. Fine Arts (ललित कला)
10. Music (Vocal) (संगीत गायन)
11. Music Instrument Sitar (संगीत सितार)
12. Music Instrument Tabla (संगीत तबला)
13. Music (संगीत)
14. Performing Art (प्रर्दशन कला)
15. Sculpture (मूर्ति कला)
16. Theatre and cinema (रंगमंच एव चलचित्र)
17. Visual and Studio Art (दृश्य एवं स्टूडियो कला)

(10) Faculty of Vocational Studies (व्यवसायिक अध्ययन संकाय)

NSQF/UGC के दिशा निर्देशानुसार 40%(General) & 60% (Skill) व्यवस्था पर आधारित, स्किल पार्टनर के सहयोग से संचालित विषय ही व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आयेंगे ।

1. Advertising, Sales Promotion and Sales Management

2. Agribusiness management
3. Airline, Tourism and Hospitality Management
4. Analytical Instrumentation.
5. Community Sciences(Home sciences)
6. Dairy technology
7. Foreign Trade Practices and Procedures.
8. Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology
9. Multimedia, Animation and Graphics
10. Nutrition and health care Sciences
11. Organic farming and Organic products
12. Principles and Practice of Insurance

(11) Faculty of Rural Science (ग्रामीण विज्ञान संकाय)

1. Community development and extension (सामुदायिक विकास एवं प्रसार)
2. Co-operation (सहकारिता)
3. Agriculture Marketing (कृषि विपणन)
4. Horticulture (Rural Science) (उद्यान विज्ञान- ग्रामीण विज्ञान)
5. Village Industries (ग्रामीण उद्योग)
6. Fisheries (मतस्य पालन)
7. Rural Banking (ग्रामीण बैंकिंग)

6– उपरोक्तानुसार नवीन संकाय व्यवस्था को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमानुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1267 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।